XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.11.2011	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** **राजस्व अपील वाद संख्या–95 / 1997** **धारा 48 (F) B.T. Act अन्तर्गत** 1. बिहारी राम, पिता–स्व0 मोहन राम 2. लक्ष्मी राम, पिता–स्व0 मोहन राम 3. शंकर राम, पिता–स्व0 मोहन राम साकिन–इटहरी, थाना–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदकगण **बनाम** 1. सैयद साह हुसैन मनी, पिता–सैयद साह सराफ आलम 2. सैयद साह असरफ आलम, पिता–सैयद साह सराफ आलम 3. सैयदा साइस्ता जबीन फातमा, पिता–सैयद साह मंजर आलम 4. सैयदा सईदा जबीन फातमा, पिता–सैयद साह मंजर आलम 5. सैयदा सगुफ्ता जबीन फातमा, पिता–सैयद साह मंजर आलम 6. सैयदा मसरूर जबीन फातमा, पिता–सैयद साह मंजर आलम सभी का साकिन–खलीफाबाग, भागलपुर, थाना–भागलपुर, जिला–भागलपुर..... विपक्षीगण **आदेश** आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–22 / 1997 (धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत) में दिनांक 25.09.1997 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदकगण के पिता–स्व0 मोहन राम, मौजा–ईटहरी, थाना नं0–232, खाता नं0–391, खेसरा नं0–909, रकवा–3.00 एकड़, खेसरा नं0–900, रकवा 1.02 एकड़ कुल रकवा 4.02 एकड़ जमीन विपक्षी के पूर्वज के समय से कर रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद आवेदकगण उपरोक्त प्रश्नगत जमीन पर खेती करने लगे। विपक्षीगण बलपूर्वक आवेदकगण को जमीन छोड़ने के लिये दबाब देने लगे। फलस्वरूप आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या–967 / 1972–73 दायर किये और इस वाद में निम्न न्यायालय द्वारा आवेदकगण को बटाईदार घोषित किया गया। तदुपरान्त उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0 सी0 संख्या–700 / 1986 प्रारम्भ किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया गया तथा पुनः धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत वाद दायर करने का निर्देश दिया गया। इस बीच विपक्षी आवेदकगण के एक भाई जगदीश राम को पक्ष में लेकर उसके द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–25 / 1997 धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत दायर करवाया। जानकारी मिलने पर आवेदकगण उक्त वाद में मध्य पक्षीय के रूप में सम्मिलित हुआ। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त वाद को खारिज कर दिया गया। अतः आवेदकगण इस न्यायालय में निम्न न्यायालय के	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 02.09.2011 को सुनवाई की गयी। पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुना गया।विपक्षी अनुपस्थित रहे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी विपक्षी कई बार अनुपस्थित रहे है। इस कारण दिनांक 08.02.2011 को न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम मौका उन्हें दिया गया। सुनवाई के दिन भी उनका अनुपस्थित रहना यह स्पष्ट करता है कि इस वाद में उनके द्वारा रूचि नहीं लिया जा रहा है, बल्कि विलम्ब करने का मंशा प्रतीत हो रहा है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 1970 के पूर्व से ही उनके पूर्वज की दखल–कब्जा में विवादित जमीन है। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा गठित समझौता परिषद् के द्वारा भी आवेदक के दखल–कब्जा को बलपूर्वक कहे जाने के आधार पर विपक्षी के पक्ष में निर्णय ले लिया गया है, जो गलत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं तदनुसार इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ